

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

**भाग I—खण्ड 1**  
**PART I—Section 1**

**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 238] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1979/अग्रहायण 20, 1901  
No. 238] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 11, 1979/AGRAHAYANA 20, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

**वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय**  
**(वाणिज्य विभाग)**

**सार्वजनिक सूचना सं. 80-ईटीसी(पीएन)/79**

**नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1979**

**निर्घात व्यापार नियंत्रण**

**विषय :—1979-80 वर्ष के लिए चांदी की वस्तुओं और उत्पादों की निर्यात-  
नीति।**

**भित्तिल संख्या 21/1/79-ई.—**वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना  
सं. 74-ईटीसी(पीएन)/79, दिनांक 5-11-1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया  
जाता है जिसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक चांदी की मात्रा वाली चांदी की

965 GI/79

(1185)

वस्तुओं और उत्पादों की निर्यात-नीति उसी सार्वजनिक सूचना की कड़ीका 4 में दी गई शर्तों के अधीन निर्धारित की गई है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर अनुयायन निश्चित किया गया है कि 10 प्रतिशत से अधिक चांदी की मात्रा वाली जर्दा की वस्तुओं और उत्पादों के निर्यात के लिए आवेदनपत्रों पर सार्वजनिक सूचना सं. 74-ईटीसी(पीएन)/79 दिनांक 5-11-79 की कड़ीका 4 के कालम 3 में उल्लिखित तीन शर्तों को पूरा करने पर क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाएगा।

3. तदनुसार निर्यात नीति 1979-80 के पृष्ठ 22 पर क्रम सं. 77(3) के सामने कालम 3 में दर्शाए गए प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रति-स्थापित किया जाएगा :—

“क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निर्यात अनुमति उन शर्तों के अधीन होगी कि—”

सी वेकटरमन, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

#### MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

#### PUBLIC NOTICE NO. 80-ETC(PN)/79

New Delhi, the 11th December, 1979

#### EXPORT TRADE CONTROL

Sub : Export Policy of silver manufactures and products for the year 1979-80.

**F. No. 21/1/79-ETC.**—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 74-ETC(PN)/79 dated 5-11-1979 laying down the export policy of manufactures and products of silver with more than 10 per cent silver content subject to the conditions given in paragraph 4 of the same Public Notice.

2. On a review of the position, it has now been decided that applications for export of manufactures and products of silver with more than 10 per cent silver content will be considered by the Regional Licensing Authorities subject to fulfilment of the three conditions mentioned in Column 3 of paragraph 4 of the Public Notice No. 74-ETC(PN)/79 dated 5-11-79.

3. Accordingly the opening sentence appearing in the Column 3 against S. No. 77(iii) at page 22 of the Export Policy 1979-80 will be substituted by the following :

“Export will be allowed by the regional licensing authorities subject to the conditions that——”

C. VENKATARAMAN, Chief Controller